



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-31072026-275002
CG-TL-E-31072026-275002

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948

No. 480]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 30 जुलाई, 2026

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और समामेलन) (संशोधन) विनियम, 2026

फा.सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./आरईजी/ 9/223/2026.— बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2सी, धारा 3, धारा 3ए, धारा 6ए, धारा 35, धारा 37, धारा 37ए की उप-धारा (4ए) और धारा 114ए तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14 और धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और समामेलन) विनियम, 2024 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

अध्याय I – प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) संक्षिप्त नाम: ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और समामेलन) (संशोधन) विनियम, 2026 कहलाएँगे।

(2) प्रारंभ: ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अध्याय II – भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और समामेलन) विनियम, 2024 में संशोधन

2. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और समामेलन) विनियम, 2024 (इन विनियमों में इसके बाद प्रधान विनियमों के रूप में उल्लिखित) के विनियम 3 के खंड (1) के उप-खंड (ज) में “व्यक्तियों को छोड़कर” शब्दों के लिए शब्द “किसी वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के अनुपालनकर्ता अधिकार-क्षेत्र में निगमित” प्रतिस्थापित किये जाएँगे।
3. प्रधान विनियमों के विनियम 3 के खंड (1) के उप-खंड (ठ) में:
 - (1) “से अभिप्रेत है -” शब्दों और हाइफन के बाद ,शब्द और कोलन “निम्नलिखित में से कोई भी जो कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 2 के खंड (69) में निहित एक या उससे अधिक शर्तों को पूरा करता है:” को निविष्ट किया जाएगा।
 - (2) पैरा (iii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(iii) समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (मुख्य निवेश कंपनियाँ) निदेश, 2025 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत एक मुख्य निवेश कंपनी”
 - (3) पैरा (viii) के बाद ,शब्द “जो कंपनी अधिनियम 2013 , की धारा 2 के खंड (69) में निहित एक या उससे अधिक शर्तों को पूरा करता है” छोड़ दिये जाएँगे।
4. प्रधान विनियमों के विनियम 3 के खंड (1) के उप-खंड (कक) में, संख्या “2008” के बाद, शब्द “अथवा किसी वित्तीय कार्रवाई कार्य बल अनुपालनकर्ता अधिकार-क्षेत्र में निगमित एक कॉर्पोरेट निकाय” निविष्ट किये जाएँगे।
5. प्रधान विनियमों के विनियम 3 के खंड (1) के उप-खंड (गग) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(गग) “लेन-देन करनेवाली संस्थाएँ” से, अध्याय VI के प्रयोजन के लिए, अधिनियम की धारा 35 के अधीन प्राधिकरण के पास फाइल की गई योजना के अनुसार समामेलन अथवा अंतरण में संबद्ध संस्थाएँ अभिप्रेत हैं।”
6. प्रधान विनियमों के विनियम 3 के खंड (1) के उप-खंड (घघ) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

(घघ) “अंतरिती बीमाकर्ता” से:

 - (i) अध्याय VI के प्रयोजन के लिए ,अंतरण अथवा समामेलन के बाद परिणामी और बीमा व्यवसाय करनेवाली संस्था अभिप्रेत है।
 - (ii) अध्याय VII के लिए, वह बीमाकर्ता अभिप्रेत है जिसके साथ समामेलन की योजना के अनुसार मूल बीमाकर्ता का समामेलन किया जाता है।
7. प्रधान विनियमों के विनियम 3 के खंड (1) के उप-खंड (डड) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

(डड) “अंतरणकर्ता संस्था” से अध्याय VI के प्रयोजन के लिए, वह संस्था अभिप्रेत है जो अपने व्यवसाय का अंतरण अथवा समामेलन अधिनियम की धारा 35 के अधीन तैयार की गई योजना के अनुसार किसी अन्य संस्था के साथ करने की अपेक्षा करती है।”

8. प्रधान विनियमों के विनियम 3 के खंड (1) के उप-खंड (च) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:
- “स्पष्टीकरण: किसी भी बीमाकर्ता के द्वारा ईक्विटी शेयरों के नये निर्गम की स्थिति में, आनुपातिक आधार पर अभिदान न करने के अनुसरण में किसी भी शेयरधारक की शेयरधारिता में कमी को अंतरित किये जाने के लिए उद्दिष्ट शेयरों के रूप में माना जाएगा।”
9. प्रधान विनियमों के विनियम 4 के खंड (4) के बाद, निम्नलिखित खंड को निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:
- “(5) बीमा व्यवसाय की ऐसी कोई अन्य श्रेणी जो समय-समय पर प्राधिकरण के साथ परामर्श करने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती है।”
10. प्रधान विनियमों के विनियम 6 के खंड (1) के उप-खंड (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- “(ख) आवेदक विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में एनओसी के निर्गम के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (खक) विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में प्रत्येक आवेदन के साथ इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण की किसी भी मान्यताप्राप्त पद्धति के द्वारा उक्त आवेदन के प्रसंस्करण के लिए लागू करें के साथ दस हजार रुपये के वापस न करने योग्य शुल्क के भुगतान के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा।
- (खख) सक्षम प्राधिकारी जाँच के बाद, विषयों को संगत और संतोष के अनुरूप पाने के उपरांत, एनओसी जारी करेगा, जो उक्त निर्गम पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा।”
11. प्रधान विनियमों के विनियम 6 के खंड (1) के उप-खंड (ग) में, शब्द “विनिर्दिष्ट” छोड़ दिया जाएगा, तथा “फार्म आईआरडीएआई/आर1” शब्दों और संख्या के बाद शब्द “अनुसूची 1 के अनुसार” निविष्ट किये जाएँगे।
12. प्रधान विनियमों के विनियम 6 के खंड (3) के उप-खंड (क) में, शब्द “विनिर्दिष्ट फॉर्मेट” को “अनुसूची 2” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
13. विनियम 6 के खंड (3) के उप-खंड (क) का पैरा (iii) और (v) छोड़ दिया जाएगा।
14. प्रधान विनियमों के विनियम 6 के खंड (4) में, “फार्म आईआरडीएआई/आर3” शब्द और संख्या के बाद, शब्द “अनुसूची 3 के अनुसार” निविष्ट किये जाएँगे।
15. प्रधान विनियमों के विनियम 8 के खंड (2) में सारणी में, क्रम संख्या 5 के लिए विवरण स्तंभ में, “आर3 प्रदान करने के उपरांत 15 वर्ष के बाद निवेश” शब्दों और अंकों के बाद, शब्द और कोलन “: शेयरधारिता के स्वरूप में परिवर्तन की स्थिति में” निविष्ट किये जाएँगे।
16. प्रधान विनियमों के विनियम 8 के खंड (2) के प्रथम परंतुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- “बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित परिस्थितियों में अवरुद्धता अवधि (लाक-इन पीरियड) को शिथिल कर सकता है:
- (क) बीमाकर्ता को भारत में शेयर बाजार(रों) में अपने शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए समर्थ बनाने के लिए; या
- (ख) किसी बीमाकर्ता या उसके शेयरधारक(कों) की विपदग्रस्त वित्तीय स्थिति की परिस्थितियों के अंतर्गत; या
- (ग) किसी बीमाकर्ता या उसके शेयरधारक(कों) की प्रयोज्य विधि में परिवर्तन के अनुसरण में सम्मेलन या पुनर्गठन।”

17. प्रधान विनियमों के विनियम 9 के खंड (1) में, शब्द और संख्या “अनुसूची 1” को शब्द और संख्या “अनुसूची 4” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
18. प्रधान विनियमों के विनियम 10 में, “यदि आवेदक को किसी विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा प्रवर्तित किया जाता है, तो निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा” शब्दों के लिए, “प्राधिकरण के संतोष के अनुरूप कोई विशेष प्रयोजन माध्यम निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवेदक का प्रवर्तक हो सकता है” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
19. प्रधान विनियमों के विनियम 10 का खंड (6) छोड़ दिया जाएगा।
20. प्रधान विनियमों के विनियम 12 के खंड (3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(3) बीमा व्यवसाय के प्रारंभ के समय तक:

(क) आवेदक और एसपीवी के ईक्विटी शेयर उसके अंकित मूल्य पर जारी किये जाएँगे;

(ख) आवेदक और एसपीवी में उसके शेयरधारकों के द्वारा निधियों का भरण (इन्फ्यूज़न), आवेदक और एसपीवी में उनके ईक्विटी हित के प्रतिशत के अनुरूप होगा:

बशर्ते कि बीमाकर्ता या एसपीवी के ईक्विटी शेयर, व्यवसाय के प्रारंभ के बाद, इन विनियमों के विनियम 21 के साथ पठित अधिनियम की धारा 6ए के अनुसार प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन के अधीन, प्रीमियम पर जारी किये जा सकते हैं।”

21. प्रधान विनियमों के विनियम 17 के खंड (3) के बाद, निम्नलिखित खंड निविष्ट किया जाएगा:

“(4) विदेशी निवेशकों या विदेशी प्रवर्तक द्वारा निवेश की स्थिति में, भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के अनुपालन का अनुवर्तन किया जाएगा।”

22. प्रधान विनियमों के विनियम 21 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“21 शेयरों के अंतरण के लिए पूर्व-अनुमोदन की अपेक्षा:

निम्नलिखित किसी भी स्थिति में प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन के बिना बीमाकर्ता के शेयरों के अंतरण का कोई भी पंजीकरण या ईक्विटी पूँजी का निर्गम नहीं किया जाएगा:

(1) अंतरिती की ईक्विटी धारिता के आधार पर:

(क) जहाँ अंतरण से पहले अंतरिती की कुल प्रदत्त ईक्विटी पूँजी धारिता पाँच प्रतिशत या उससे कम है, तथा अंतरण के बाद अंतरिती की कुल प्रदत्त ईक्विटी धारिता बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के पाँच प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है।

(ख) जहाँ अंतरण से पहले अंतरिती की कुल प्रदत्त ईक्विटी पूँजी धारिता पाँच प्रतिशत से अधिक है, तथा अंतरण के बाद

(i) अंतरिती की कुल प्रदत्त ईक्विटी धारिता दस प्रतिशत या पच्चीस प्रतिशत या पचास प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है।

(ii) अंतरिती के बीमाकर्ता का एकल सर्वाधिक शेयरधारक होने की संभावना है।

(2) अंतरण किये जाने के लिए प्रस्तावित ईक्विटी धारिता के आधार पर: जहाँ किसी व्यक्ति, फर्म, समूह, समूह के घटकों, या एक ही प्रबंधन के अंतर्गत निगमित निकाय द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग अंतरित किये जाने के लिए उद्दिष्ट शेयरों का अंकित मूल्य एक वित्तीय वर्ष में बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के पाँच प्रतिशत से अधिक हो जाता है।

बशर्ते कि उपर्युक्त में से किसी भी स्थिति के होने के बावजूद, उस स्थिति में भी जब किसी व्यक्ति का अधिग्रहण या कुल धारिता पाँच प्रतिशत से कम होना प्रस्तावित है तथा यदि संबंधित बीमाकर्ता संदेह करता है कि बीमाकर्ता में नियंत्रक रुचि प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यक्तियों या समूहों के द्वारा वास्तविक उद्देश्य को छद्मावरण से छिपाने के लिए पाँच प्रतिशत की उच्चतम सीमा को पूरा करने के लिए संदिग्ध पद्धतियाँ अपनाई गई हैं, तो संबंधित बीमाकर्ता के द्वारा प्राधिकरण को संदर्भ प्रेषित किया जाएगा। ऐसी स्थितियों में, प्राधिकरण के लिए उचित समझे जाने के रूप में आदेश पारित करना उपयुक्त होगा।

परंतु यह भी शर्त होगी कि इस विनियम के अंतर्गत शेयरों के अंतरण के लिए पूर्व-अनुमोदन की अपेक्षा समूह संस्थाओं के बीच किये गये शेयरों के अंतरण के लिए भी लागू होगी।”

23. प्रधान विनियमों के विनियम 22 के खंड (4) के परंतुक में, शब्द “पचास लाख” को शब्द “दस लाख” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

24. प्रधान विनियमों का विनियम 25 छोड़ दिया जाएगा।

25. प्रधान विनियमों के समूचे अध्याय VI में:

(1) “लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ता” शब्दों के लिए, शब्द “लेनदेन करनेवाली संस्थाओं” प्रतिस्थापित किये जाएँगे।

(2) “अंतरणकर्ता बीमाकर्ता” शब्दों के लिए, शब्द “अंतरणकर्ता संस्था” प्रतिस्थापित किये जाएँगे।

26. प्रधान विनियमों के विनियम 30 में:

(1) “बीमाकर्ता का कोई भी बीमा व्यवसाय नहीं” शब्दों के लिए, शब्द “अथवा किसी भी कंपनी का गैर-बीमा व्यवसाय” निविष्ट किये जाएँगे।

(2) शब्द “अन्य” छोड़ दिया जाएगा।

27. प्रधान विनियमों के विनियम 30 के बाद, निम्नलिखित विनियम निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:

“30क बीमा व्यवसाय के साथ गैर-बीमा व्यवसाय का समामेलन या अंतरण

(1) पात्रता मानदंड:

(क) अंतरणकर्ता संस्था या तो एक बीमाकर्ता या एक कंपनी है जो बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के 50% से अधिक को धारित करता है जिसके साथ वह अपने व्यवसाय का समामेलन या अंतरण करने का प्रस्ताव करता है।

(ख) ऐसी धारक कंपनी के पास अधिनियम की धारा 35 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को विद्यमान स्थिति के अनुसार बीमाकर्ता के व्यवसाय को धारित करने को छोड़कर कोई अन्य गैर-बीमा व्यवसाय नहीं होगा।

(ग) समामेलन की योजना अनिवार्यतः अधिनियम की धारा 35 के अधीन तैयार की जाएगी।

(2) समामेलन के लिए शर्त:

(क) समामेलन से उत्पन्न होनेवाले किन्हीं देयताओं या दावों या दायित्वों को पूरा करने के लिए, किसी भी समय, अंतरिती बीमाकर्ता के पालिसीधारकों की निधि का उपयोग नहीं किया जा सकता।

(ख) अंतरिती बीमाकर्ता का निदेशक बोर्ड इस बात से संतुष्ट होगा कि ऐसा समामेलन अंतरिती बीमाकर्ता के पालिसीधारकों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

- (ग) अंतरिती बीमाकर्ता प्राधिकरण के संतोष के अनुरूप प्रदर्शित करेगा कि उक्त बीमाकर्ता की शोधन-क्षमता समामेलन के बाद नियंत्रण स्तर से ऊपर रहेगी।
- (घ) अंतरिती बीमाकर्ता वर्तमान निवेश मानदंडों का अनुपालनकर्ता होगा।
- (ङ) **प्रतिफल:** समामेलन के प्रतिफल में अंतरिती बीमाकर्ता को केवल अंतरणकर्ता संस्था के शेयरधारकों को ईक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति दी जाएगी। प्रतिफल के भुगतान के लिए कोई भी अन्य रूप अनुमतियोग्य नहीं होगा। अंतरणकर्ता संस्था के शेयरधारकों से अपेक्षित होगा कि वे अनुसूची 4 में निर्धारित रूप में 'योग्य और उपयुक्त' (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंडों को पूरा करें।

बशर्ते कि जहाँ शेयर विनिमय अनुपात भिन्नात्मक हकदारियों में परिणत होता है, वहाँ ऐसी भिन्नात्मक हकदारियों का भुगतान शेयरों के उचित मूल्य के आधार पर नकदी में किया जाएगा।

(3) समामेलन के बाद की शर्तें :

- (क) समामेलन के बाद, अंतरिती बीमाकर्ता अनिवार्यतः केवल बीमा व्यवसाय में लगा रहेगा जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा उसे पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।
- (ख) अंतरिती बीमाकर्ता और उसके प्रवर्तक सुनिश्चित करेंगे कि उक्त बीमाकर्ता की शोधन-क्षमता समामेलन के बाद हर समय नियंत्रण स्तर से ऊपर रहेगी।
- (ग) अंतरिती बीमाकर्ता और उसके प्रवर्तक सुनिश्चित करेंगे कि उक्त बीमाकर्ता के पालिसीधारकों का हित समामेलन के बाद हर समय संरक्षित रहेगा।
- (घ) अंतरिती बीमाकर्ता सुनिश्चित करेगा कि बीमा परिचालन, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999, बीमा अधिनियम, 1938, उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों तथा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निदेशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए किये जाएँगे।
- (ङ) प्राधिकरण आवश्यक समझी जानेवाली अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है।”

28. प्रधान विनियमों का विनियम 36 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“36. “सिद्धांत रूप में” अनुमोदन की अपेक्षा करनेवाले आवेदन के साथ, प्रत्येक लेनदेन करनेवाली संस्थाओं के द्वारा प्राधिकरण को लागू करें के साथ दस लाख रुपये का वापस न करने योग्य प्रसंस्करण शुल्क विप्रेषित किया जाएगा।”

29. प्रधान विनियमों के विनियम 50 के लिए ,निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“50. **लिखतों के अभिदाता:** किसी भी बीमाकर्ता के द्वारा जारी की गई अन्य प्रकार की पूँजी का अभिदान भारत अथवा किसी वित्तीय कार्यवाई कार्य-बल अनुपालनकर्ता अधिकार-क्षेत्र में फिलहाल प्रचलित किसी भी विधि के अंतर्गत निगमित, स्थापित अथवा पंजीकृत किसी संस्था के द्वारा, कराधान, विदेशी मुद्रा, धनशोधन निवारण, आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने से संबंधित विधियों सहित परंतु केवल इन्हीं तक असीमित अन्य सभी लागू विधियों का अनुपालन करने के अधीन किया जा सकता है।”

30. प्रधान विनियमों के विनियम 56 के खंड (4) में ,शब्द “अर्थदंड के रूप में” छोड़ दिये जाएँगे।

31. प्रधान विनियमों के विनियम 56 के बाद ,निम्नलिखित विनियम निविष्ट किया जाएगा:

“56क. बीमाकर्ता का नाम:

(1) बीमाकर्ता को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति अपने व्यवसाय के संबंध में अपने नाम के भाग के रूप में “बीमा”, “बीमाकर्ता”, “आश्वासन” (एश्योरेंस), “पुनर्बीमा”, “बीमा कंपनी” में से किसी भी शब्द अथवा उनके किसी भी व्युत्पन्न शब्द (डेरिवेटिव) का प्रयोग नहीं करेगा तथा कोई भी व्यक्ति भारत में बीमा व्यवसाय नहीं करेगा जब तक वह अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे कम से कम एक शब्द का प्रयोग नहीं करता।

बशर्ते कि वर्तमान बीमाकर्ता भी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और समामेलन)(संशोधन) विनियम, 2026 की अधिसूचना की तारीख से बारह (12) महीने की समयावधि के अंदर अथवा प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी जानेवाली अवधि के अंदर इस विनियम का अनुपालन करेंगे।

(2) कोई भी बीमाकर्ता सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त किये बिना अपने नाम में परिवर्तन नहीं करेगा।”

32. प्रधान विनियमों के विनियम 58 के खंड (2) के उप-खंड) ज (में ,शब्द और संख्या “अनुसूची 1” को शब्द और संख्या “अनुसूची 4” के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा

33. प्रधान विनियमों के विनियम 61 के खंड (1) के उप-खंड) छ (के बाद ,निम्नलिखित विनियम को निविष्ट किया जाएगा:
“(ज) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियाँ) (संशोधन) विनियम, 2021”

34. प्रधान विनियमों की अनुसूची 1 को निम्नलिखित अनुसूचियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ,अर्थात् :

“अनुसूची 1: फार्म आईआरडीएआई/आर1

[विनियम 6(2)(क)/(ख) देखें]

क्र. सं.	विवरण	उत्तर
क) आवेदक के बारे में सूचना		
1	मूलभूत विवरण i. नाम ii. पता (पंजीकृत कार्यालय और पत्र-व्यवहार के लिए पता) iii. संपर्क का विवरण (प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, ई-मेल आईडी और फोन नम्बर) iv. विधिक स्थिति (कंपनी, सहकारी सोसाइटी या सांविधिक निकाय) और सीआईएन संख्या v. पंजीकरण संख्या और रजिस्ट्रार का पता vi. निगमन की तारीख vii. स्थायी खाता संख्या (पैन)	
2	बीमा व्यवसाय की श्रेणी जिसके लिए पंजीकरण अपेक्षित है (विनियम 4 देखें)	
3	पूँजी विन्यास i. प्राधिकृत पूँजी की राशि, शेयरों की कुल संख्या और प्रति शेयर अंकित मूल्य ii. निर्गत पूँजी की राशि और शेयरों की संख्या iii. प्रदत्त पूँजी की राशि और शेयरों की संख्या iv. विवरण यदि विभिन्न श्रेणियों के शेयर हों v. विवरण यदि विभिन्न मताधिकार हों	
ख) आवेदक के शेयरधारक (प्रत्येक प्रवर्तक और निवेशक के लिए अलग-अलग)		
1	मूलभूत विवरण: i. नाम (पहले के नामों सहित, यदि कोई हों) ii. पता (पंजीकृत पता और पत्र-व्यवहार के लिए पता) iii. संपर्क का विवरण (प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, ई-मेल आईडी और फोन नम्बर): iv. विधिक स्थिति (कंपनी, एलएलपी आदि) और सीआईएन संख्या	

क्र. सं.	विवरण	उत्तर
	v. निगमन की संख्या और तारीख (व्यक्ति के मामले में जन्म-तिथि) vi. आवासीय स्थिति (अनिवासी संस्था की स्थिति में, निवास और निगमन का देश विनिर्दिष्ट करें।) vii. स्थायी खाता संख्या viii. क्या भारत के अंदर या भारत के बाहर किसी वित्तीय क्षेत्र विनियमनकर्ता के पास पंजीकृत है। यदि हाँ, तो उसका विवरण दें। ix. स्वामित्व और नियंत्रण की स्थिति (डीपीआईआईटी दिशानिर्देश, भारत सरकार और फेमा के अनुसार, जैसा लागू हो) x. शेयरधारक की प्रस्तावित स्थिति (अर्थात् निवेशक या प्रवर्तक) xi. 'भारतीय प्रवर्तक' की स्थिति में, विनियम 3(1)(I) के अंतर्गत लागू उप-विनियम बताएँ।	
2	पूँजी का अंतःप्रवाह और प्रतिबद्धताएँ क) पूँजी का अंतःप्रवाह i. अधिग्रहण करने के लिए प्रस्तावित ईक्विटी हित का % ii. आवेदक में लगाने के लिए प्रस्तावित राशि iii. आवेदक में पूँजी लगाने के लिए निधियों का स्रोत iv. आवेदक की भावी पूँजी आवश्यकता पूरी करने के लिए स्रोत और क्षमता ख) पूँजी और अन्य प्रतिबद्धताएँ i. पूँजी और आवेदक के प्रति अन्य प्रतिबद्धताओं का विवरण ii. वित्तीय देयताओं और अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताओं का विवरण iii. शेयरधारकों के प्रति आवेदक के दायित्वों और प्रतिबद्धताओं का विवरण	
3	आस्तियाँ और निवेश: क) निवेशों का विवरण दें i. भारत में अन्य बीमाकर्ता(ओं) या अन्य आवेदक(कों) में निवेश ii. भारत में किसी (किन्हीं) अन्य बीमा मध्यवर्ती(मध्यवर्तियों) में निवेश iii. भारत के बाहर बीमाकर्ताओं या बीमा मध्यवर्तियों में निवेश iv. भारत में अन्य निवेश v. भारत के बाहर अन्य निवेश vi. धारित अन्य आस्तियाँ ख) तरल आस्तियों और निवेशों का विवरण	
4	व्यवसाय का रिकार्ड और अनुभव: i. वर्तमान व्यवसाय ii. कारोबार/व्यवसाय में परिचालन के वर्षों की कुल संख्या iii. भारत में बीमा मध्यस्थता सहित, बीमा व्यवसाय में व्यावसायिक रिकार्ड और अनुभव iv. भारत के बाहर बीमा मध्यस्थता सहित, बीमा व्यवसाय में व्यावसायिक अभिलेख और अनुभव v. भारत में अथवा भारत के बाहर अन्य व्यवसाय(यों) में व्यावसायिक रिकार्ड और अनुभव	
5	समुचित सावधानी: i. भारत में या भारत के बाहर किसी विनियामक/सांविधिक/ न्यायिक निकाय द्वारा, शेयरधारक या उसके किसी प्रवर्तक/समूह संस्थाओं या उसके किसी निदेशक या केएमपी के विरुद्ध दोषसिद्धि सहित, विनियामक मध्यस्थताओं, प्रतिबंधात्मक निदेशों और/या कार्यवाही का पिछला रिकार्ड। लंबित कार्यवाही, यदि कोई हो, तो उसका भी विवरण प्रस्तुत करें।	

क्र. सं.	विवरण	उत्तर
	ii. क्या शेयरधारक के संबंध में कभी दिवालिये के रूप में न्यायनिर्णयन किया गया है। यदि हाँ, तो उसका विवरण दें। iii. क्या शेयरधारक या उसके निदेशक या प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक को कभी भेदिया व्यापार, कपटपूर्ण या अनुचित व्यापार पद्धतियों या बाजार के छल-कपट के लिए अभियुक्त बनाया गया है या दंडित किया गया है। iv. प्रस्तावित शेयरधारक या उसके निदेशकों या प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों के विरुद्ध की गई / लंबित दीवानी/आपराधिक/ विनियामक कार्रवाई का विवरण। v. क्या शेयरधारक(कों) या उसके निदेशकों को कभी कोई विनियमित वित्तीय कारोबार करने के लिए लाइसेंस या प्राधिकरण (आथराइजेशन) अस्वीकृत किया गया है (या वापस लिया गया है)। यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रस्तुत करें। vi. शेयरधारक(कों), या उसके निदेशकों या प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों के विरुद्ध किसी सरकारी, विनियामक या व्यावसायिक निकाय द्वारा प्रारंभ की गई किसी भी निंदा या अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण। vii. क्या पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान शेयरधारक(कों) की अपनी रिपोर्ट में लेखा-परीक्षकों के द्वारा बहियों और खातों और वित्तीय विवरणों में कोई प्रतिबंध, शर्त रखी गई थी या प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी। viii. क्या किसी सरकारी, विनियामक या व्यावसायिक निकाय ने कभी ऐसी कंपनी, फर्म या संस्था की जाँच की थी जिसके साथ शेयरधारक के निदेशक और प्रमुख व्यक्ति निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक या शेयरधारक के रूप में संबद्ध रहे हैं। (यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रस्तुत करें)	
ग) आवेदक की व्यवसाय योजना		
1	उन राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों सहित, व्यवसाय की भौगोलिक व्याप्ति जिसमें कंपनी परिचालन करने की योजना बनाती है।	
2	वितरण माध्यम और कार्यनीति	
3	विपणन कार्यनीति	
4	जोखिम-अंकन कार्यनीति	
5	पुनर्बीमा कार्यनीति	
6	बेचे जानेवाले उत्पाद i. उत्पाद के कीमत-निर्धारण में प्रयुक्त कीमत-निर्धारण नीति और लाभप्रदता मानदंड ii. उत्पाद की विशेषताएँ जैसे कवरेज अवधियाँ, प्रीमियम स्तर, गैर-जब्त मूल्य, ऋण प्रावधान, आदि। iii. औसत पालिसी आकार	
7	निवेश कार्यनीति	
8	सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) i. अभिनियोजित की जानेवाली आईटी प्रणालियाँ और अभिनियोजन के क्षेत्र ii. साइबर सुरक्षा नीति iii. अंतर-संबद्धता का स्तर iv. क्या तत्काल (आफ़-दी-शेल्फ़) खरीदी जानेवाली प्रणालियाँ स्थानीय तौर पर विकसित की गई हैं या विदेशी निवेशकों के द्वारा भारत में आयात की गई हैं। v. वह स्तर जहाँ तक प्रणालियों का उपयोग पालिसीधारक सर्विसिंग के लिए किया जाएगा। vi. प्रक्रियाओं और परिचालनों का विवरण जो अयांत्रिक रहेंगे।	

क्र. सं.	विवरण	उत्तर
	vii. वर्णन कि कैसे आईटी प्रणाली का उपयोग अपेक्षित प्रबंध सूचना प्रणाली का विकास करने के लिए किया जाएगा।	
9	ग्राहक सेवा i. नीतियाँ और प्रणालियाँ जिन्हें शिकायत निवारण के संदर्भ में लागू किया जाएगा ii. बीमा जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यनीति iii. बीमा व्यापन में वृद्धि करने के लिए प्रस्तावित योगदान iv. ग्राहक सेवा के विभिन्न पहलुओं हेतु लागू करने के लिए आयोजित सेवा मानक v. प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावित विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं हेतु समय अनुसूची।	
10	जोखिम प्रबंध ढाँचा i. उद्यम जोखिम प्रबंध ii. व्यवसाय निरंतरता योजना iii. लागू किये जानेवाले आंतरिक नियंत्रणों का स्वरूप	
11	अनुमानों के अंतर्निहित मुख्य अनुमानों के साथ 5 वर्ष के लिए वित्तीय पूर्वानुमान: पूर्वानुमान आवेदक के निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित किये जाएँगे। उक्त पूर्वानुमानों के साथ भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा प्रदत्त व्यवहार प्रमाणपत्र से युक्त एक फेलो बीमांकक से प्राप्त निम्नलिखित आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा: क) पूर्वानुमान उचित और व्यवहार्य हैं। ख) आवेदक के आर1 के प्रयोजन के लिए पूर्वानुमानों का प्रमाणीकरण ग) वित्तीय पूर्वानुमान तकनीकी रूप से सुदृढ़ आधार पर किये गये हैं। घ) अनुमान / परिकलन प्रयोज्य आईआरडीएआई विनियमों / मानदंडों के अनुरूप हैं। ङ) पूर्वानुमानों के निर्धारण के व्यवहार में उसके हितों का कोई संघर्ष नहीं है। च) शोधन-क्षमता अनुपात / आरक्षित निधियों आदि का परिकलन समय-समय पर यथासंशोधित लागू विनियमों के अनुरूप किया गया है। छ) अन्य अनुमान / परिकलन भी लागू विनियमों के अनुरूप हैं। उक्त पूर्वानुमानों में कम से कम निम्नलिखित शामिल होंगे: i. प्रीमियम आय (टिकट आकार) ii. जीवनों, पालिसियों, एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों की संख्या iii. खंड-वार प्रीमियम आय iv. खंड-वार दावे या लाभ, पालिसीधारक अधिशेष और बोनस की घोषणा v. खंड-वार प्रतिधारण vi. जोखिम-अंकन लाभ vii. निवेश आय viii. परिचालन व्यय (प्रमुख शीर्षों में अलग-अलग विवरण सहित) ix. कमीशन भुगतान x. प्रबंधन के समग्र व्यय xi. प्रथम वर्ष और नवीकरण व्यय अनुपात xii. उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन, अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन और शोधन-क्षमता मार्जिन xiii. पूँजीगत अपेक्षाएँ : कुल, भारतीय और विदेशी xiv. लाभ-अलाभ अवधि और पूँजी पर प्रतिलाभ xv. मुख्य अनुपात (प्रत्येक खंड के लिए अलग-अलग)	

क्र. सं.	विवरण	उत्तर
	क. प्रतिधारण अनुपात ख. उपगत दावा अनुपात, संयुक्त अनुपात और हानि अनुपात (जैसा लागू हो) ग. निरंतरता अनुपात, यदि लागू हो xvi. पूँजीगत व्यय और प्रमुख शीर्षों में विश्लेषित विवरण सहित xvii. सांविधिक रिज़र्व और प्रयुक्त आरक्षण (रिज़र्विंग) पद्धतियाँ xviii. विक्रय स्टाफ, विक्रय सहायता स्टाफ और प्रशासनिक स्टाफ का आकार xix. वर्तमान विनियमों/परिपत्रों के अंतर्गत बीमा कंपनियों के लिए लागू फार्मेटों के अनुसार निम्नलिखित मद्दे: क. नकदी प्रवाह विवरण ख. आरक्षित निधि खाता ग. लाभ और हानि लेखा घ. तुलन-पत्र (अतिरिक्त रूप से, निम्नलिखित पूर्वानुमानों के संदर्भ में आशापूर्ण और निराशात्मक परिदृश्यों पर व्यवसाय के पूर्वानुमानों का एक संवेदनशीलता विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जाएगा: i. शोधन-क्षमता अनुपात ii. विक्रय का परिमाण iii. विक्रय का औसत आकार iv. दावा अनुभव v. विक्रय बल का आकार vi. मृत्यु-दर, अस्वस्थता-दर, पालिसी समापन (जीवन) vii. प्रशासनिक व्यय (मुद्रास्फीति सहित) viii. निवेश आय ix. लाभ-अलाभ अवधि)	
घ) निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्य-योजना		
1	ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण सहित, पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण	
2	मोटर अन्य पक्ष दायित्व (यदि लागू हो)	
3	ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्व	
ङ) आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जानेवाला विवरण और दस्तावेज		
1	i. विनियम 6(2)(ख) में यथाविनिर्दिष्ट सभी विवरण/दस्तावेज ii. आवेदक में निवेश को प्राधिकृत करते हुए प्रत्येक प्रवर्तक के बोर्ड और निवेशकों के द्वारा पारित संकल्प की प्रति। iii. आवेदक, प्रवर्तक और निवेशक द्वारा प्राप्त अनुमोदनों की प्रतियाँ, जैसा लागू हो: क. संबंधित अधिकार-क्षेत्र या क्षेत्र विनियमनकर्ता(ओं) का अनुमोदन ख. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 2000 के अधीन अनुमोदन ग. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अनुमोदन घ. अन्य सांविधिक निकायों का अनुमोदन iv. आवेदक या उसके किसी प्रवर्तक(कों) या निवेशक(कों) के द्वारा प्राधिकरण के पास फाइल किये गये पिछले आवेदनों का विवरण, यदि कोई हो।	

क्र. सं.	विवरण	उत्तर
v.	किन्हीं पिछले स्तरों पर प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई किसी भी सूचना में परिवर्तन, यदि कोई हों	
vi.	विनियम में विनिर्दिष्ट रूप में शुल्क के भुगतान के समर्थन में सबूत	
vii.	आईआरडीआई द्वारा निर्धारित की जानेवाली सभी शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करनेवाला प्रवर्तक(कों)/निवेशक(कों) का सहमति पत्र।	
viii.	आवेदक और/या शेयरधारकों के बीच किये गये / किये जाने के लिए प्रस्तावित करार की प्रति।	
ix.	आवेदक के निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों का विवरण, यदि अंतिम रूप दिया गया हो।	
x.	प्रस्तावित प्रवर्तकों और निवेशकों, जैसा लागू हो, से संबंधित विवरण	
	क. निवल मालियत (नेट वर्थ) प्रमाणपत्र जो व्यवसायी सनदी लेखाकार (सीए) (अथवा विदेशी शेयरधारक के मामले में निगमन के अधिकार-क्षेत्र में उसके समकक्ष) के द्वारा विधिवत् प्रमाणित हो, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आस्तियों की तरलता के आधार पर उनका द्विभाजन शामिल हो।	
	ख. पिछले 5 वित्तीय वर्षों के लिए वित्तीय विवरण	
	ग. आवेदन की तारीख से पहले 5 वर्षों के लिए फाइल की गई आय-कर विवरणियाँ।	
	घ. संस्था के बहिर्नियम और संस्था के अंतर्नियम	
	ङ. शेयरधारिता का स्वरूप / भागीदारों का विवरण	
	च. बीमाकर्ता में पूँजी लगाने के लिए वचन-पत्र जिससे वह अपनी शोधन-क्षमता और/या व्यवसाय की आवश्यकता को पूरा कर सके।	
	छ. पिछले 5 वर्षों के दौरान जुटाई गई पूँजी का विवरण (यदि लागू हो)	
	ज. निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों की सूची	
	झ. पृष्ठभूमि, वित्तीय सुदृढ़ता आदि के बारे में संक्षिप्त नोट	
	ञ. अन्य संस्थाओं में निदेशकत्व, भागीदारी, शेयरधारिता का विवरण।	
	ट. संगत समझी जानेवाली कोई अन्य सूचना।	
xi.	फार्म आईआरडीआई/आर1 के प्रदर्श 1 (एग्जिबिट 1) के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप	
xii.	यह पुष्टीकरण करते हुए स्व-साक्ष्यांकित प्रमाणपत्र कि फार्म आईआरडीआई/आर1 में उसके साथ संलग्नकों सहित प्रस्तुत सूचना सही और संपूर्ण है, तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है और/या दबाई नहीं गई है।	

प्रमाणीकरण

मैं, _____ अधोहस्ताक्षरकर्ता सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेसर्स (आवेदक का नाम) की ओर से इस आवेदन फार्म में दिये गये तथ्य मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही हैं तथा यह कि पूर्वानुमान और प्राक्कलन उचित धारणाओं पर आधारित हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

दिनांक:

स्थान:

फार्म आईआरडीएआई/आर1 का प्रदर्श 1 (एग्जिबिट 1): I) आवेदक और II) प्रवर्तक (प्रवर्तकों) की शेयरधारिता का स्वरूप और पूँजी विन्यास

I. आवेदक की शेयरधारिता का स्वरूप

i. वर्तमान शेयरधारिता का स्वरूप

श्रेणी	शेयरधारक का नाम	भारतीय / विदेशी	हिताधिकारी स्वामी का नाम	शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य	निर्गम कीमत	प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी (रु. करोड़)	प्रतिशत शेयरधारिता	प्रीमियम, यदि कोई हो (रु. करोड़)	कुल निधियाँ (रु. करोड़)	कुल निधि में प्रतिशत (रु. करोड़)
प्रवर्तक / निवेशक											
	कुल जोड़							100%			100%

i. आर 1 आवेदन के अनुसार प्रस्तावित शेयरधारिता का स्वरूप

श्रेणी	शेयरधारक का नाम	भारतीय / विदेशी	हिताधिकारी स्वामी का नाम	शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य	निर्गम कीमत	प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी (रु. करोड़)	प्रतिशत शेयरधारिता	प्रीमियम, यदि कोई हो (रु. करोड़)	कुल निधियाँ (रु. करोड़)	कुल निधि में प्रतिशत (रु. करोड़)
प्रवर्तक / निवेशक											
	कुल जोड़							100%			100%

II. प्रवर्तक की शेयरधारिता का स्वरूप

(एक से अधिक प्रवर्तक होने की स्थिति में प्रत्येक के लिए प्रस्तुत करें।)

i. वर्तमान शेयरधारिता का स्वरूप

श्रेणी	शेयरधारक का नाम	भारतीय / विदेशी	हिताधिकारी स्वामी का नाम	शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य	निर्गम कीमत	प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी (रु. करोड़)	प्रतिशत शेयरधारिता	प्रीमियम, यदि कोई हो (रु. करोड़)	कुल निधियाँ (रु. करोड़)	कुल निधि में प्रतिशत (रु. करोड़)
प्रवर्तक / निवेशक											
	कुल जोड़							100%			100%

ii. आर 1 आवेदन के अनुसार प्रस्तावित शेयरधारिता का स्वरूप

श्रेणी	शेयरधारक का नाम	भारतीय /विदेशी	हिताधिकारी स्वामी का नाम	शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य	निर्गम कीमत	प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी (रु. करोड़)	प्रतिशत शेयरधारिता	प्रीमियम, यदि कोई हो (रु. करोड़)	कुल निधियाँ (रु. करोड़)	कुल निधि प्रतिशत (रु. करोड़)
प्रवर्तक /निवेशक											
	कुल जोड़							100%			100%

अनुसूची 2

फार्म आईआरडीएआई/आर2 (पंजीकरण के लिए आवेदन)

[विनियम 6(2)(घ)/(ङ) और 6(3)(क) देखें]

क्र.सं.	विवरण	उत्तर
क) संगठनात्मक और अभिशासन की संरचना		
1	आवेदक की संगठनात्मक संरचना और रिपोर्टिंग संबंध	
2	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक (केएमपी) दायित्वों के आबंटन के साथ संरचना प्रत्येक केएमपी से संबंधित विवरण: i. नाम: ii. जन्म की तारीख और स्थान: iii. पता: iv. स्थायी खाता संख्या: v. पासपोर्ट / पहचान-पत्र का विवरण (संख्या, जारी करने की तारीख और स्थान, समाप्ति की तारीख और जारीकर्ता प्राधिकारी) vi. बैंक खाता विवरण: [खाता संख्या, बैंक का नाम और पता तथा बैंक खाते की स्थिति (सक्रिय है या निष्क्रिय)] vii. शैक्षिक योग्यता: viii. व्यावसायिक योग्यता: ix. बीमा व्यवसाय में पहले का कार्य अनुभव, यदि कोई हो x. बीमा के अलावा अन्य कार्य अनुभव, यदि कोई हो xi. आवासीय स्थिति xii. व्यावसायिक हित या आवेदक या उसकी समूह संस्थाओं के साथ संबंध का विवरण xiii. आवेदक या उसकी समूह संस्थाओं में धारित ईक्विटी पूँजी का विवरण	

क्र.सं.	विवरण	उत्तर
	समुचित सावधानी तथा योग्य और उचित (फिट एण्ड प्रोपर) - किसी सरकारी, विनियामक या व्यावसायिक निकाय द्वारा केएमपी के विरुद्ध प्रारंभ की गई निंदा या अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण। - कार्यालय या नियोजन से बरखास्तगी, पिछले नियोक्ता द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही या किसी व्यवसाय या उपजीविका में प्रवेश से अस्वीकृति का विवरण - नैतिक चरित्रहीनता से संबद्ध किसी अपराध के लिए केएमपी की दोषसिद्धि का विवरण - क्या किसी सरकारी, विनियामक या व्यावसायिक निकाय ने किसी नियोक्ता, कंपनी या संस्था की कभी जाँच की है जिसके साथ प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति (केएमपी) एक निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक या शेयरधारक के रूप में संबद्ध रहा है? - क्या किसी कंपनी या संस्था को जिसके साथ प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति (केएमपी) निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक के रूप में संबद्ध रहा हो, कभी समाप्त किया गया था, वह रिसीवरशिप में गया था या उसने व्यापार को बंद किया था जब प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति (केएमपी) उसके साथ संबद्ध रहा था; अथवा प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति के इस प्रकार की संबद्धता के समाप्त होने के बाद एक वर्ष के अंदर इस प्रकार हुआ था? - क्या केएमपी को कभी दिवालिया घोषित किया गया था; - धोखाधड़ी या अन्य बेईमानी से संबद्ध किसी अपराध के लिए दोषसिद्धियों का विवरण; - किसी कंपनी में निदेशक / प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति के रूप में कार्य करने से कोई निरहता; - क्या प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति (केएमपी) को पिछले पाँच वर्ष के दौरान कभी किसी विनियमित वित्तीय व्यवसाय की गतिविधि संचालित करने या उसके साथ संबद्ध होने के लिए लाइसेंस या प्राधिकरण (आथराइजेशन) से अस्वीकृत किया गया (अथवा उसे वापस लिया गया)।	
	अन्य नियुक्तियों का विवरण - क्या प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति (केएमपी) बीमा कारपोरेट एजेंट का प्रधान अधिकारी/विनिर्दिष्ट व्यक्ति/कर्मचारी, बीमा दलाल का कर्मचारी, भारत में या किसी विदेश में किन्हीं अन्य बीमा मध्यवर्तियों या बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता का निदेशक या कर्मचारी या भारत में या किसी अन्य विदेश में किसी अन्य कंपनी का निदेशक भी है। - क्या केएमपी आवेदक का पूर्णकालिक कर्मचारी है? यदि नहीं, तो अन्य नियोजन/नियुक्ति का पूरा विवरण दें। - क्या केएमपी किसी अन्य संस्था से प्रतिनियुक्ति / अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति (सेकंडमेंट) पर है? यदि हाँ, तो - मूल संस्था का पूरा विवरण प्रस्तुत करें। - क्या मूल संस्था से कोई पारिश्रमिक आदि का भुगतान किया जाता है, यदि ऐसा है तो उक्त पारिश्रमिक का संपूर्ण विवरण दें। - क्या केएमपी आवेदक की किसी समूह कंपनी / संबद्ध कंपनी के पूर्णकालिक/ अंशकालिक नियोजन में है या वह आवेदक का प्रवर्तक भागीदार है?	

क्र.सं.	विवरण	उत्तर
3	निदेशक बोर्ड	
	1. दायित्वों के आबंटन सहित संरचना (प्रवर्तक/निवेशक द्वारा बोर्ड में प्रतिनिधित्व का अलग विवरण तथा स्वतंत्र निदेशकों का विवरण)	
	प्रत्येक निदेशक से संबंधित विवरण: - नाम: - जन्म की तारीख और स्थान: - पता: - स्थायी खाता संख्या: - पासपोर्ट / पहचान पत्र का विवरण (संख्या, निर्गम की तारीख और स्थान, समाप्ति की तारीख और जारीकर्ता प्राधिकारी) - बैंक खाता विवरण: [खाता संख्या, बैंक का नाम और पता तथा बैंक खाते की स्थिति (सक्रिय है या निष्क्रिय)] - शैक्षिक अर्हता: - व्यावसायिक अर्हता: - बीमा व्यवसाय में पिछला कार्य अनुभव, यदि कोई हो - बीमा के अलावा पिछला अन्य कार्य अनुभव, यदि कोई हो - आवासीय स्थिति - आवेदक या उसकी समूह संस्थाओं के साथ व्यावसायिक हित या संबंध का विवरण - आवेदक या उसकी समूह संस्थाओं में धारित ईक्विटी पूँजी का विवरण - निदेशक पहचान संख्या	
	समुचित सावधानी तथा योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) - किसी सरकारी, विनियामक या व्यावसायिक निकाय द्वारा निदेशक के विरुद्ध निंदा या प्रारंभ की गई अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण। - पिछले नियोक्ता द्वारा कार्यालय या नियोजन से बर्खास्तगी, अनुशासनिक कार्यवाही या किसी व्यवसाय या उपजीविका में प्रवेश से अस्वीकृति का विवरण - नैतिक चरित्रहीनता से संबद्ध किसी अपराध के लिए निदेशक की दोषसिद्धि का विवरण - क्या किसी सरकारी, विनियामक या व्यावसायिक निकाय ने कभी किसी नियोक्ता, कंपनी या संस्था की जाँच की है जिसके साथ निदेशक, एक निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक या शेयरधारक के रूप में संबद्ध रहा है? - क्या कोई कंपनी या संस्था जिसके साथ निदेशक एक निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक के रूप में संबद्ध रहा था, कभी समाप्त की गई है, रिसीवरशिप में गया है या व्यापार समाप्त किया है जब निदेशक उसके साथ संबद्ध रहा था; या निदेशक के संबद्ध रहने के बाद एक वर्ष के अंदर समाप्त किया गया है? - क्या निदेशक को कभी दिवालिया घोषित किया गया है? - धोखाधड़ी या अन्य बेईमानी से संबद्ध किसी अपराध के लिए दोषसिद्धियों का विवरण - किसी कंपनी में एक निदेशक/प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति के रूप में कार्य करने से कोई निरर्हता	

क्र.सं.	विवरण	उत्तर
	ix. क्या निदेशक को पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी विनियमित वित्तीय व्यवसाय को संचालित करने या उसके साथ संबद्ध रहने के लिए लाइसेंस या प्राधिकरण (आथराइजेशन) से इनकार किया गया है (या वह वापस लिया गया था)	
	अन्य नियुक्तियों का विवरण i. क्या निदेशक बीमा कारपोरेट एजेंट का प्रधान अधिकारी/विनिर्दिष्ट व्यक्ति/कर्मचारी, बीमा दलाल का कर्मचारी, भारत में या किसी विदेश में किन्हीं अन्य बीमा मध्यवर्तियों या बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता का निदेशक या कर्मचारी या भारत में या किसी अन्य विदेश में किसी अन्य कंपनी का निदेशक भी है। ii. क्या निदेशक आवेदक के पूर्णकालिक नियोजन में है? यदि हाँ, तो उक्त नियोजन/नियुक्ति का पूरा विवरण दें : iii. क्या निदेशक किसी अन्य संस्था के द्वारा नामित है? यदि हाँ, तो क. उक्त संस्था का पूरा विवरण प्रस्तुत करें : ख. क्या उक्त संस्था के द्वारा किसी पारिश्रमिक आदि का भुगतान किया जाता है, यदि हाँ, तो उक्त पारिश्रमिक का संपूर्ण विवरण दें। iv. क्या निदेशक, आवेदक की किसी समूह कंपनी / संबद्ध कंपनी के पूर्णकालिक / अंशकालिक नियोजन में है अथवा वह आवेदक का प्रवर्तक भागीदार है?	
ख)	पुष्टीकरण कि शेयर आवेदन राशि आर2 अनुमोदन के निर्गम से पहले प्रस्तुत की जाएगी।	
ग)	विनियम 17(3) के अधीन हितों के संघर्ष के संदर्भ में कार्रवाई की योजना।	
घ)	प्रस्तुत किये जानेवाले अतिरिक्त विवरण / दस्तावेज: i. विनियम 6(3)(क) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में सभी दस्तावेज ii. आर1 अनुमोदन में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति iii. किन्हीं पूर्व के चरणों में (अर्थात् एनओसी चरण या आर1 चरण) प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई किसी भी सूचना में परिवर्तन, यदि कोई हों, उनके विवरण सहित। iv. विनियम में विनिर्दिष्ट रूप में शुल्क के भुगतान के समर्थन में सबूत। v. यह पुष्टि करते हुए स्व-साक्ष्यांकित प्रमाणपत्र कि संलग्नकों सहित फार्म आईआरडीएआई/आर2 में प्रस्तुत की गई सूचना सही और संपूर्ण है, तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है और/या दबाई नहीं गई है।	

टिप्पणी: आवेदक कंपनी/प्रवर्तक का शेयरधारक (प्रवर्तक/निवेशक) आवेदक कंपनी में कोई पूर्णकालिक पद धारित नहीं करेगा।

प्रमाणीकरण

मैं, _____ अधोहस्ताक्षरकर्ता, सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेसर्स
 (आवेदक का नाम) की ओर से इस आवेदन फार्म में दिये गये तथ्य मेरी
 अधिकतम जानकारी के अनुसार सही हैं तथा पूर्वानुमान और प्राक्कलन युक्तिसंगत धारणाओं पर आधारित हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
 नाम और पदनाम

दिनांक:

स्थान:

अनुसूची 3: फार्म आईआरडीएआई/आर3
 (विनियम 6 का उप-विनियम (4) देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(प्राधिकरण की मुहर)

पंजीकरण प्रमाणपत्र

पंजीकरण संख्या.....XX.....

प्रमाणित किया जाता है कि (बीमाकर्ता का नाम और पता).....XX.....

को बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2ए) के उपबंधों के अनुसार
(xxx)..... की श्रेणी का व्यवसाय करने के लिए आज(xxx)..... को पंजीकृत
 किया गया है।

आज दो हजार(xxx)....., (माह).....के दिन हैदराबाद में
 प्राधिकरण की मुहर के अधीन प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर

(सक्षम प्राधिकारी)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 4: योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड

(विनियम 9 और विनियम 58 के उप-विनियम (2) का खंड (ज) देखें)

“योग्य और उपयुक्त” स्थिति का निर्धारण - आवेदकों, प्रवर्तकों और/या निवेशकों की “योग्य और उपयुक्त” स्थिति निर्धारित करने के लिए निदर्शी मानदंड

यह निर्धारित करने में कि कोई व्यक्ति और/या संस्था बीमाकर्ता का प्रवर्तक या निवेशक होने के लिए “योग्य और उपयुक्त” है या नहीं, निम्नलिखित कारकों, जैसे कि संगत हों, का ध्यान रखा जाएगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(1) व्यक्ति अथवा संस्था की सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा, पिछला रिकार्ड:

(क) प्रवर्तक या निवेशक की वित्तीय सुदृढ़ता।

(ख) व्यवसाय, शोधन-क्षमता और विनियामक अपेक्षाएँ पूरी करने के लिए पूँजी लगाने की क्षमता।

(ग) धन-शोधन निवारण अधिनियम, फेमा और कराधान कानून सहित, भारत में सभी प्रयोज्य कानूनों का अनुपालन।

(घ) भविष्य में कोई भी पूँजी लगाने के लिए आवश्यक होनेवाली निधियों का स्रोतीकरण करने के लिए पूँजी अथवा वित्तीय बाजारों तक पहुँचने की क्षमता।

(ङ) व्यवसाय का रिकार्ड, व्यावसायिक और वित्तीय स्थिति तथा पिछला अनुभव।

(2) समुचित सावधानी

(क) भारत में और/या भारत के बाहर, जैसा लागू हो, अन्य विनियामक निकायों के द्वारा अनुमोदन अथवा एनओसी।

(ख) प्रवर्तकों, निवेशकों या उसकी किसी भी समूह कंपनी द्वारा भेदिया व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग), कपटपूर्ण या अनुचित व्यापार पद्धतियाँ या बाजार संबंधी छल-योजना।

(ग) भारत में या भारत के बाहर किसी भी विनियामक या सांविधिक या न्यायिक निकाय द्वारा व्यक्ति अथवा संस्था अथवा उसके किसी भी प्रवर्तक अथवा समूह संस्था अथवा उसके किसी भी केएमपी के विरुद्ध दोषसिद्धि सहित, कार्यवाही।

(3) पालिसीधारकों और सामान्य रूप से जनसाधारण के हित।

(4) प्रबंधन और अभिशासन संरचना पर प्रभाव।

(5) शेयरधारकों के बीच करार तथा नियंत्रण अथवा प्रबंधन पर प्रभाव।

(6) प्रवर्तक या निवेशक की शेयरधारिता का स्वरूप और पूँजी विन्यास।

(7) निवेश के लिए निधियों का स्रोत।

(8) बीमाकर्ता तथा बीमाकर्ता के निवेशकों और प्रवर्तकों के शेयरों का हिताधिकारी स्वामित्व।”

जी. आर. सूर्या कुमार, कार्यकारी निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./249/2026-27]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 30th July, 2026

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares and Amalgamation of Insurers) (Amendment) Regulations, 2026

F. No. IRDAI/Reg/ 9/223/2026.— In exercise of the powers conferred by section 2C, section 3, section 3A, section 6A, section 35, section 37, sub-section (4A) of section 37A and section 114A of the Insurance Act, 1938 and section 14 and section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999, the Authority, in consultation with Insurance Advisory Committee, hereby makes the following amendments to Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares and Amalgamation of Insurers) Regulations, 2024, namely: -

CHAPTER I- PRELIMINARY**1. Short Title and Commencement**

- (1) **Short Title:** These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares and Amalgamation of Insurers) (Amendment) Regulations, 2026.
- (2) **Commencement:** These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

CHAPTER II – AMENDMENT TO INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (REGISTRATION, CAPITAL STRUCTURE, TRANSFER OF SHARES AND AMALGAMATION OF INSURERS) REGULATIONS, 2024

2. In sub-clause (j) of clause (1) of regulation 3 of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares and Amalgamation of Insurers) Regulations, 2024 (hereafter referred to as the principal regulations), for the words “excluding individuals”, the words “incorporated in any Financial Action Task Force compliant jurisdiction” shall be substituted.
3. In sub-clause (l) of clause (1) of regulation 3 of the principal regulations:
 - (1) After the words and hyphen “means -”, the words and colon “any of the following, which meets one or more of the conditions in clause (69) of Section 2 of Companies Act, 2013:” shall be inserted.
 - (2) Para (iii) shall be substituted as under:

“(iii) a Core Investment Company registered with Reserve Bank of India under Reserve Bank of India (Core Investment Companies) Directions, 2025, as amended from time to time.”
 - (3) After para (viii), the words “which meets one or more of the conditions in clause (69) of Section 2 of Companies Act, 2013” shall be omitted.
4. In sub-clause (aa) of clause (1) of regulation 3 of the principal regulations, after the numbers “2008”, the words “or a body corporate incorporated in any Financial Action Task Force compliant jurisdiction” shall be inserted.
5. For sub-clause (cc) of clause (1) of regulation 3 of the principal regulations, following clause shall be substituted, namely:

“(cc) “**Transacting entities**”, for the purpose of Chapter VI, means entities involved in the amalgamation or transfer as per scheme filed with the Authority under section 35 of the Act.”
6. For sub-clause (dd) of clause (1) of regulation 3 of the principal regulations, following clause shall be substituted, namely:

“(dd) “**Transferee insurer**” means:

 - (i) For the purpose of Chapter VI, the resulting entity after completion of transfer or amalgamation and carrying on insurance business.
 - (ii) For the purpose of Chapter VII, the insurer with whom the original insurer is amalgamated in accordance with the scheme of amalgamation.”
7. For sub-clause (ee) of clause (1) of regulation 3 of the principal regulations, following clause shall be substituted, namely:

“(ee) **“Transferor entity”**, for the purpose of Chapter VI, means an entity that is seeking to transfer its business or amalgamate with another entity in accordance with a scheme prepared under section 35 of the Act.”

8. Following explanation shall be inserted in sub-clause (ff) of clause (1) of regulation 3 of the principal regulations, namely:

“Explanation: In case of fresh issuance of equity shares by any insurer, decrease in shareholding of any shareholder pursuant to non-subscription on pro-rata basis, shall be also treated as shares intended to be transferred.”

9. After clause (4) of regulation 4 of the principal regulations, the following clause shall be inserted, namely:

“(5) Such other class of insurance business as may be notified by the Central Government in consultation with the Authority from time to time.”

10. Sub-clause (b) of clause (1) of regulation 6 of the principal regulations shall be substituted as under:

“(b) The applicant shall make application for issuance of NOC in the specified format.

(ba) Every application in the specified format shall be accompanied by proof in support of payment of non-refundable fee of rupees ten thousand along with applicable taxes towards processing of the said application through any of the recognised modes of electronic fund transfer.

(bb) The Competent Authority, after examining the matters considered relevant and upon satisfaction, shall issue the NOC subject to the conditions as may be specified in the said issuance letter.”

11. In sub-clause (c) of clause (1) of regulation 6 of the principal regulations, the word “specified” shall be omitted, and after the words and number “Form IRDAI/R1”, the words “as per Schedule 1” shall be inserted.

12. In sub-clause (a) of clause (3) of regulation 6 of the principal regulations, the word “the specified format” shall be substituted with “Schedule 2”.

13. Para (iii) and (v) of sub-clause (a) of clause (3) of regulation 6 shall be omitted.

14. In clause (4) of regulation 6 of the principal regulations, after the word and number “Form IRDAI/R3”, the words “as per Schedule 3” shall be inserted.

15. In the table in clause (2) of regulation 8 of the principal regulations, in particulars column for serial number 5, after the words and figures “Investment after 15 years post grant of R3”, the words and colon “: In case of change in shareholding pattern” shall be inserted.

16. First proviso of clause (2) of regulation 8 of the principal regulations shall be substituted as under:

“Provided that the Competent Authority may relax the lock-in period in following circumstances:

- (a) To enable the insurer to list its shares on the stock exchange(s) in India; or
- (b) Under circumstances of distressed financial position of any insurer or its shareholder(s); or
- (c) Amalgamation or reorganization pursuant to change in applicable law of any insurer or its shareholder(s).”

17. In clause (1) of regulation 9 of the principal regulations, the word and number “Schedule 1” shall be substituted with the word and number “Schedule 4”.

18. In regulation 10 of the principal regulations, for the words “In case the applicant is promoted by a Special Purpose Vehicle (SPV), the following conditions shall be complied with”, the words “A Special Purpose Vehicle may be promoter of an applicant, upon satisfaction of the Authority, subject to the following conditions” shall be substituted.

19. Clause (6) of regulation 10 of the principal regulations shall be omitted.

20. Clause (3) of regulation 12 of the principal regulations shall be substituted as under:

“(3) Till the time of commencement of insurance business:

- (a) The equity shares of the Applicant and SPV shall be issued at its face value;
- (b) The infusion of funds in the Applicant and SPV, by its shareholders, shall be commensurate with the percentage of their equity stake in the Applicant and SPV:

Provided that equity shares of insurer or SPV may be issued at premium, after the commencement of business, subject to the prior-approval of the Authority in accordance with section 6A of the Act read with Regulation 21 of these Regulations.”

21. After clause (3) of regulation 17 of the principal regulations, the following clause shall be inserted:
“(4) In case of investment by Foreign Investors or Foreign Promoter, compliance of Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 shall be adhered to.”
22. For regulation 21 of the principal regulations, the following shall be substituted, namely:
“21 Requirement of Prior-Approval for transfer of shares:
 No registration of transfer of shares or issue of equity capital of an insurer shall be made without prior-approval of the Authority in any of following cases:
 - (1) **On the basis of equity holding of the transferee:**
 - (a) Where the total paid-up equity capital holding of transferee before the transfer is five percent or less, and after the transfer, total paid-up equity holding of transferee is likely to exceed five percent of the paid-up equity capital of the insurer.
 - (b) Where the total paid-up equity capital holding of transferee before the transfer is more than five percent, and after the transfer:
 - (i) Total paid-up equity holding of transferee is likely to exceed ten percent or twenty-five percent or fifty percent or seventy-five percent.
 - (ii) The transferee is likely to be the single largest shareholder of the insurer.
 - (2) **On the basis of equity holding proposed to be transferred:** where the nominal value of shares intended to be transferred by any individual, firm, group, constituents of a group, or body corporate under same management, jointly or severally exceeds five percent of the paid-up equity capital of the insurer in a financial year.

Provided that notwithstanding any of the above, even when the acquisition or aggregate holding of any person is proposed to be less than five percent and if the concerned insurer suspects that dubious methods have been adopted to get over the ceiling of five percent to camouflage the real purpose by individuals or groups with a view to acquire controlling interest in the insurer, a reference shall be made to the Authority by the concerned insurer. In such cases, it shall be in order for the Authority to pass such order as may be deemed fit.

Provided further that the requirement of prior-approval for transfer of shares under this regulation shall also apply for transfer of shares carried out amongst group entities.”
23. In proviso to clause (4) of regulation 22 of the principal regulations, the word “fifty lakh” shall be substituted with the word “ten lakh”.
24. Regulation 25 of the principal regulations shall be omitted.
25. Throughout the chapter VI of the principal regulations:
 - (1) For the words “transacting insurers”, the words “transacting entities” shall be substituted.
 - (2) For the words “transferor insurer”, the words “transferor entity” shall be substituted.
26. In regulation 30 of the principal regulations:
 - (1) After the words “No insurance business of an insurer”, the words “or non-insurance business of any company,” shall be inserted.
 - (2) The word “other” shall be omitted.
27. After regulation 30 of the principal regulations, the following regulation shall be inserted, namely:
“30A Amalgamation or transfer of non-insurance business with insurance business
 - (1) **Eligibility criteria:**
 - (a) Transferor entity is either an insurer or a company holding more than 50% of the paid-up equity capital of the insurer with which it proposes to amalgamate or to transfer its business.
 - (b) Such holding company shall have no other non-insurance business than holding the insurer as on date of submission of application under section 35 of the Act.

(c) The scheme of amalgamation shall be prepared under section 35 of the Act.

(2) **Condition for amalgamation:**

- (a) Policyholders' fund of the transferee insurer cannot be used, at any point of time, to meet any liabilities or claims or obligations arising out of amalgamation.
- (b) The Board of Directors of the transferee insurer will satisfy itself that such amalgamation will not adversely impact the interest of the policyholders of the transferee insurer.
- (c) The transferee insurer shall demonstrate, to the satisfaction of the Authority, that the solvency of the said insurer, post amalgamation, will remain above control level.
- (d) The transferee insurer shall be in compliance with extant investment norms.
- (e) **Consideration:** In consideration for the amalgamation, the transferee insurer shall only be permitted to issue its equity shares to the shareholders of the transferor entity. No other form shall be permissible for payment of consideration. The said shareholders of the transferor entity shall be required to meet the 'Fit and Proper' criteria as laid down in Schedule 4.

Provided that where the share exchange ratio results in fractional entitlements, such fractional entitlements shall be settled in cash, based on the fair value of shares.

(3) **Conditions related to post amalgamation:**

- (a) Post amalgamation, transferee insurer must only engage in insurance business for which it has been granted certificate of registration by the Authority.
- (b) Transferee insurer and its promoters shall ensure that the solvency of the said insurer, post amalgamation, remains above control level, at all times.
- (c) Transferee insurer and its promoters shall ensure that the interest of the policyholders of the said insurer, post amalgamation, remains protected at all times.
- (d) Transferee insurer shall ensure that the insurance operations are carried out in compliance with all requirements of the Insurance Regulatory Development Authority Act, 1999, Insurance Act, 1938, the Rules and the Regulations framed thereunder and the directions issued by the Authority.
- (e) The Authority may impose such additional conditions as may be considered necessary."

28. Regulation 36 of the principal regulations shall be substituted as under:

"36. Non-refundable processing fee of Rupees Ten Lakh along with applicable taxes shall be remitted to the Authority by each of the transacting entities, along with application seeking "in-principle" approval."

29. For regulation 50 of the principal regulations, the following regulation shall be substituted:

"50. Subscribers to the Instruments: The other forms of capital issued by any insurer may be subscribed by any entity incorporated, set-up or registered under any law for the time being in force in India or in any Financial Action Task Force compliant jurisdiction, subject to compliance with all other applicable laws including but not limited to laws pertaining to taxation, foreign exchange, prevention of money laundering, combating the financing of terrorism."

30. In clause (4) of regulation 56 of the principal regulations, the words "by way of penalty" shall be omitted.

31. After regulation 56 of the principal regulations, the following regulation shall be inserted:

"56A. Name of the Insurer:

(1) No person other than an insurer shall use as part of its name or in connection with its business any of the words "insurance", "insurer", "assurance", "re-insurance", "insurance company" or any of their derivatives and no person shall carry on the insurance business in India unless it uses as part of its name at least one of such words.

Provided that the existing insurers shall also comply with this regulation within a time period of twelve (12) months from the date of notification of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares and Amalgamation of Insurers) (Amendment) Regulations, 2026 or within such period as may be permitted by the Authority.

(2) No insurer shall change its name without obtaining No-objection certificate from the Competent Authority."

32. In sub-clause (j) of clause (2) of regulation 58 of the principal regulations, the word and number “Schedule 1” shall be substituted with the word and number “Schedule 4”.
33. After sub-clause (g) of clause (1) of regulation 61 of the principal regulations, the following regulation shall be inserted:

“(h) Insurance Regulatory and Development Authority of India (Indian Insurance Companies) (Amendment) Regulations, 2021”
34. Schedule 1 of the principal regulations shall be substituted with following schedules, namely:

“SCHEDULE 1: FORM IRDAI/R1
[REFER REGULATION 6(2)(A)/(B)]

S. No.	Particulars	Response
A) information about applicant		
1	Basic details i. Name ii. Address (registered office and communication address) iii. Contact details (name of authorized person, email id and phone number) iv. Legal status (company, cooperative society or statutory body) and cin number v. Registration number and address of registrar vi. Date of incorporation vii. Permanent account number	
2	Class of insurance business for which registration is sought (refer regulation 4)	
3	Capital structure i. Amount of authorized capital, total number of shares and face value per share ii. Amount of issued capital and number of shares iii. Amount of paid-up capital and number of shares iv. Details if there are different classes of shares v. Details if there are different voting rights	
B) shareholders of applicant (separate for each promoter and investor)		
1	Basic details: i. Name (including previous names, if any) ii. Address (registered address and communication address) iii. Contact details (name of authorized person, email id and phone number): iv. Legal status (company, llp etc.) And cin number v. Number and date of incorporation (date of birth in case of individual) vi. Residential status (in case of non-resident entity, please specify the country of residence and incorporation) vii. Permanent account number viii. Whether registered with any financial sector regulator in india or outside india. If yes, provide details thereof. ix. Ownership and control status (as per dpiit guidelines, govt of india and fema as may be applicable) x. Proposed status of shareholder (i.e. Investor or promoter) xi. In case of ‘indian promoter’, state the applicable sub-regulation under regulation 3(1)(i)	
2	Capital infusion & commitments: a) Capital infusion i. % of equity stake proposed to be acquired. ii. Amount proposed to be infused in applicant iii. Source of funds to infuse capital in applicant iv. Source and capability to meet future capital requirement of the applicant b) Capital and other commitments i. Details of capital and other commitments to the applicant ii. Details of financial liabilities and other financial commitments iii. Details of obligations and commitments of applicant to shareholders	

S. No.	Particulars	Response
3	Assets and investments: a) Provide details of investments i. Investment in other insurer(s) or other applicant(s) in india ii. Investment in any insurance intermediary(ies) in india iii. Investment in insurers or insurance intermediaries outside india iv. Other investments in india v. Other investments outside india vi. Other assets held b) Details of liquid assets and investments	
4	Business record and experience: i. Present occupation ii. Total number of years of operation in business/profession iii. Business record and experience in insurance business including insurance intermediation in india iv. Business record and experience in insurance business including insurance intermediation outside india v. Business record and experience in other business(es) in india or outside india.	
5	Due diligence: i. Past record of regulatory interventions, restrictive directions and/or proceedings including conviction against the shareholder or any of its promoter / group entities or any of their directors or kmpts, by any regulatory / statutory / judicial bodies in india or outside india. Please also furnish details of pending proceedings, if any. ii. Whether the shareholder has ever been adjudged as insolvent. If yes, provide details thereof. iii. Whether the shareholder(s) or its directors or key managerial personnel has ever been accused of or penalized for insider trading, fraudulent or unfair trade practices or market manipulation iv. Details of civil/criminal/regulatory action taken / pending against the proposed shareholder or its directors or key managerial personnel. v. Whether the shareholder(s) or its directors have ever been refused (or had revoked) a license or authorization to carry on any regulated financial business. If yes, provide details thereof. vi. Details of any censure or disciplinary actions initiated by any governmental, regulatory or professional body against the shareholder(s) or its directors or key managerial personnel. vii. Whether any qualification, reservation or adverse remarks on the books and accounts and financial statements were made by the auditors in their report of the shareholder(s), during the past five financial years. viii. Whether any governmental, regulatory or professional body has ever investigated any company, firm or organisation with which the directors and key persons of the shareholder have been associated as a director, officer, manager or shareholder. (if yes, provide details thereof)	
C) business plan of the applicant		
1	Geographical spread of business including states and union territories in which company plans to operate	
2	Distribution channels and strategy	
3	Marketing strategy	
4	Underwriting strategy	

S. No.	Particulars	Response
5	Reinsurance strategy	
6	Products to be sold i. Pricing strategy and profitability criteria used in product pricing ii. Product features such as coverage periods, premium levels, non-forfeiture values, loan provisions etc. iii. Average policy size	
7	Investment strategy	
8	Information technology (it) i. It systems to be deployed and areas of deployment ii. Cyber security policy iii. Degree of interconnectivity iv. Whether the systems to be bought off-the-shelf, developed locally or imported into india by the foreign investors. v. Degree to which the systems will be used for policyholder servicing. vi. Details of procedures and operations which will remain manual vii. Description of how the it system will be used to develop the required management information system.	
9	Customer service i. Policies and systems to be put in place w.r.t. Grievance redressal ii. Strategy to increase insurance awareness iii. Proposed contribution to increase insurance penetration iv. Service standards planned to be introduced for various aspects of customer service v. Time schedule for various types of services proposed to be offered.	
10	Risk management framework i. Enterprise risk management ii. Business continuity plan iii. Nature of internal controls to be put in place.	
11	Financial projections for 5 years along with key assumptions underlying the assumptions: the projections shall be duly approved by the board of directors of the applicant. The projections shall be accompanied by a certificate from a fellow actuary having certificate of practice from institute of actuaries of india with confirmation to the following effect: a) The projections are reasonable and workable. b) Certification of projections for the purpose of r1 of the applicant c) The financial projections are carried out on a technically sound basis. d) The assumptions / calculations are in line with applicable irdai regulations / norms. e) He/she does not have any conflict of interest in assessment of projection exercise. f) The solvency ratio / reserves etc. Have been calculated in line with the applicable regulations as amended from time to time. g) The other assumptions / calculations are also in line with applicable regulations The projections shall include, at the minimum, the following: i. Premium income (ticket size) ii. Number of lives, policies, agents and insurance intermediaries iii. Segment wise premium income iv. Segment wise claims or benefits, policyholders surplus and bonus declaration.	

S. No.	Particulars	Response
	v. Segment wise retention vi. Underwriting profit vii. Investment income viii. Operating expenses (with break up in major heads), ix. Commission payouts x. Overall expenses of management xi. First year and renewal expense ratio xii. Available solvency margin, required solvency margin and solvency ratio xiii. Capital requirements: total, indian and foreign xiv. Break-even period and return on capital xv. Key ratios (separate for each segment) a. Retention ratio b. Incurred claim ratio, combined ratio and loss ratio (as applicable) c. Persistency ratio, if applicable xvi. Capital expenditure with break up in major heads xvii. Statutory reserves and reserving methods used. xviii. Size of sales staff, sales support staff and administrative staff xix. The following as per the formats applicable for insurance companies under extant regulations/circulars: a. Cash flow statement b. Revenue account c. Profit & loss account d. Balance sheet (in addition, a sensitivity analysis of the business projections shall also be submitted on optimistic and pessimistic scenarios w.r.t. Following assumptions: i. Solvency ratio ii. Volume of sales iii. Average size of sales iv. Claims experience v. Size of sales force vi. Levels of mortality, morbidity, policy termination (life) vii. Administrative expenses (including inflation) viii. Investment income ix. Break even period)	
D) action plan to ensure compliance with the following		
1	Protection of policyholders interest including customer service and grievance redressal	
2	Motor third party obligations (if applicable)	
3	Rural and social sector obligations	
E). Details and documents to be submitted along with the application		
1	i. All the details/documents as specified in regulation 6(2)(b) ii. Copy of resolution passed by board of each of the promoter and investors authorizing investment in the applicant. iii. Copies of approvals, as may be applicable, obtained by applicant, promoter and investor: Approval of relevant jurisdiction or sector regulator(s);	

S. No.	Particulars	Response
	a. Approval under foreign exchange management act, 2000 b. Approval of competition commission of india c. Approval from other statutory bodies iv. Particulars of the previous applications, if any, filed with the authority by the applicant or any of its promoter(s) or investors(s). v. Changes, if any, in any of the information submitted to the authority at any prior stages vi. Proof in support of payment of the fee as specified in the regulations vii. Letter of consent of promoter(s)/investor(s) confirming compliance with all stipulations as may be laid down by the irdai. viii. Copy of agreement in place / proposed to be entered into between the applicant and/or amongst the shareholders. ix. Details of directors and key managerial personnel of the applicant, if finalized. x. Details pertaining to proposed promoters and investors, as applicable a. Net worth certificate duly certified by practicing chartered accountant (or its equivalent in the jurisdiction of incorporation in case of a foreign shareholder) which inter-alia includes bifurcation of assets on the basis of their liquidity. b. Financial statements for last 5 financial years c. Income tax returns filed for 5 years prior to the date of application. d. Memorandum of association and articles of association e. Shareholding pattern / details of partners f. Undertaking to infuse capital in insurer to meet its solvency and/or business requirement. g. Details of capital raised during the past 5 years (if applicable) h. List of directors and key managerial personnel i. Brief note about the background, financial strength etc. j. Details of directorship, partnership, shareholding in other entities. k. Any other information, as may be considered relevant. xi. Shareholding pattern as per exhibit 1 to form irdai/r1 xii. Self-attested certificate confirming that the information furnished in form irdai/r1 along with the attachments therewith is correct and complete, and nothing has been concealed and/or suppressed.	

Certification

I, _____ the undersigned, solemnly declare that the facts given in this application form on behalf of M/s.....(Name of Applicant).... are true to the best of my knowledge and that the projections and estimations are based on reasonable assumptions.

Date:

Signature of the Authorised Person

Place:

Name and Designation

Exhibit 1 to Form IRDAI/R1: Shareholding Pattern & Capital Structure of I) Applicant and II) Promoter(s)**I. Shareholding Pattern of Applicant**

i. Existing Shareholding pattern

Category	Name of Shareholder	Indian /Foreign	Name of Beneficial owner	Number of shares	Face value	Issue Price	Paid-up equity share capital (Rs. in Crore)	Percentage shareholding	Premium, if any, (Rs. in Crore)	Total funds (Rs. in Crore)	Percentage in Total Fund (Rs. in Crore)
Promoter /Investor											
	Grand Total							100%			100%

ii. Proposed Shareholding pattern as per R1 application

Category	Name of Shareholder	Indian /Foreign	Name of Beneficial owner	Number of shares	Face value	Issue Price	Paid-up equity share capital (Rs. in Crore)	Percentage shareholding	Premium, if any, (Rs. in Crore)	Total funds (Rs. in Crore)	Percentage in Total Fund (Rs. in Crore)
Promoter /Investor											
	Grand Total							100%			100%

II. Shareholding Pattern of Promoter**(In case of more than one promoters, provide for each of the promoter)**

i. Existing Shareholding Pattern

Category	Name of Shareholder	Indian /Foreign	Name of Beneficial owner	Number of shares	Face value	Issue Price	Paid-up equity share capital (Rs. in Crore)	Percentage shareholding	Premium, if any, (Rs. in Crore)	Total funds (Rs. in Crore)	Percentage in Total Fund (Rs. in Crore)
Promoter /Investor											
	Grand Total							100%			100%

ii. Proposed Shareholding pattern as per R1 application

Category	Name of Shareholder	Indian /Foreign	Name of Beneficial owner	Number of shares	Face value	Issue Price	Paid-up equity share capital (Rs. in Crore)	Percentage shareholding	Premium, if any, (Rs. in Crore)	Total funds (Rs. in Crore)	Percentage in Total Fund (Rs. in Crore)
Promoter /Investor											
	Grand Total							100%			100%

Schedule 2
Form IRDAI/R2 (APPLICATION FOR REGISTRATION)
[Refer Regulation 6(2)(d)/(e) & 6(3(a))]

S. No.	Particulars	Response
A) Organisational & Governance Structure		
1	Organisation structure of the applicant and reporting relationships	
2	Key Management Personnel (KMPs)	
	Composition along with allocation of responsibilities	
	Details pertaining to each of the KMP: i. Name: ii. Date and place of birth: iii. Address: iv. Permanent Account Number: v. Passport / identity card details (Number, date and place of issue, date of expiry and issuing authority) vi. Bank account details: [Account number, name and address of bank and status of bank account (whether active or dormant)]. vii. Academic qualification: viii. Professional qualification: ix. Prior work experience in insurance business, if any x. Prior work experience other than in insurance, if any xi. Residential status xii. Details of business interest or relationship with applicant or its group entities xiii. Details of equity capital held in applicant or in its group entities	
	Due Diligence & Fit and Proper i. Details of censure or disciplinary action initiated against the KMP by any Government, regulatory or professional body. ii. Details of dismissal from office or employment, disciplinary proceedings by the previous employer or refusal of entry into any profession or occupation iii. Details of conviction of the KMP for any offence involving moral turpitude iv. Whether any governmental, regulatory or professional body has ever investigated any employer, company or organization with which the Key Management Person has been associated as a director, officer, manager or shareholder? v. Whether any company or organization with which the Key Management Person was associated as a director, officer, manager, has ever been wound up, gone into receivership or ceased trading either whilst the Key	

S. No.	Particulars	Response
	Management Person was associated with it; or within one year after the Key Management Person so ceased to be associated? vi. Whether the KMP has ever been declared bankrupt; vii. Details of convictions for any offence involving fraud or other dishonesty; viii. Any disqualification from acting as a Director/ Key Management Person in any company; ix. Whether the key management person has ever been refused (or had been revoked) a license or authorization to carry on or to be associate with any regulated financial business activity during the past five years.	
	Details of other engagements i. Whether the Key Management Person is also a Principal officer / Specified person / employee of Insurance Corporate Agent, employee of Insurance Broker, Director or Employee of any other insurance intermediaries or Insurer or reinsurer in India or in any foreign country or director of any other company in India or in any foreign country. ii. Whether the KMP is in the full time employment of the applicant? If not, then please give the full details of other employment/ engagement: iii. Whether the KMP is on deputation / secondment from any other organization? If yes, a. furnish the full particulars of the Parent Organization: b. whether any remuneration etc., is paid by the Parent Organization, if so complete details of the remuneration. iv. Whether the KMP is in full time / part time employment of any group company / associated company or the promoting partner of the applicant?	
3	Board of Directors 1. Composition along with allocation of responsibilities (separate details of representation on the Board by Promoter/Investor and details of Independent Directors)	
	Details pertaining to each of the Director: i. Name: ii. Date and place of birth: iii. Address: iv. Permanent Account Number: v. Passport / identity card details (Number, date and place of issue, date of expiry and issuing authority) vi. Bank account details: [Account number, name and address of bank and status of bank account (whether active or dormant)]. vii. Academic qualification: viii. Professional qualification:	

S. No.	Particulars	Response
	ix. Prior work experience in insurance business, if any x. Prior work experience other than in insurance, if any xi. Residential status xii. Details of business interest or relationship with applicant or its group entities xiii. Details of equity capital held in applicant or in its group entities xiv. Director Identification Number	
	Due Diligence & Fit and Proper i. Details of censure or disciplinary action initiated against the director by any Government, regulatory or professional body. ii. Details of dismissal from office or employment, disciplinary proceedings by the previous employer or refusal of entry into any profession or occupation iii. Details of conviction of the director for any offence involving moral turpitude iv. Whether any governmental, regulatory or professional body has ever investigated any employer, company or organization with which the director has been associated as a director, officer, manager or shareholder? v. Whether any company or organization with which the director was associated as a director, officer, manager, has ever been wound up, gone into receivership or ceased trading either whilst the director was associated with it; or within one year after the director so ceased to be associated? vi. Whether the director has ever been declared bankrupt; vii. Details of convictions for any offence involving fraud or other dishonesty; viii. Any disqualification from acting as a Director/ Key Management Person in any company; ix. Whether the director has ever been refused (or had been revoked) a license or authorization to carry on or to be associated with any regulated financial business activity during the past five years.	
	Details of other engagements i. Whether the director is also a Principal officer / Specified person / employee of Insurance Corporate Agent, employee of Insurance Broker, Director or Employee of any other insurance intermediaries or Insurer or reinsurer in India or in any foreign country or director of any other company in India or in any foreign country.	

S. No.	Particulars	Response
	ii. Whether the director is in the full time employment of the applicant? If yes, then please give the full details of said employment/ engagement: iii. Whether the director is nominated by any other organization? If yes, a. Furnish the full particulars of the said Organization: b. Whether any remuneration etc., is paid by the said Organization, if so complete details of the remuneration iv. Whether the director is in full time / part time employment of any group company / associated company or the promoting partner of the applicant?	
B)	Confirmation that Share application money shall be brought in prior to issuance of R2 approval.	
C)	Plan of action w.r.t. conflict of interest under Regulation 17(3)	
D)	Additional details/documents to be submitted: i. All documents as specified under Reg. 6(3)(a) ii. Compliance Status of the conditions stipulated in R1 approval iii. Changes, if any, in any of the information submitted to the Authority at any prior stages (i.e. NOC stage or R1 stage), along with details thereof. iv. Proof in support of payment of the fee as specified in the Regulation. v. Self-attested certificate confirming that the information furnished in form IRDAI/R2 along with the attachments therewith is correct and complete, and nothing has been concealed and/or suppressed.	

Note: Shareholder (Promoter/Investor) of the applicant company/Promoter shall not hold any full-time position in the applicant company.

Certification

I, _____ the undersigned, solemnly declare that the facts given in this application form on behalf of M/s.....(Name of Applicant).... are true to the best of my knowledge and that the projections and estimations are based on reasonable assumptions.

Date:

**Signature of the Authorised Person
Name and Designation**

Place:

Schedule 3: FORM IRDAI/R3

(Refer sub-Regulation (4) of Regulation 6)

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(Seal of the Authority)

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration Number:xxx....

This is to certify that (Name of insurer and address)(xxxx).....

has this day.....(xxx)....been registered in accordance with the provisions of sub section (2A) of section 3 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) to transact the(xxx).....class of business.

Given under the seal of the Authority at Hyderabad this....(xx)day of...(xxx)...two thousand and(xxx).....

Signature**(Competent Authority)****INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA**

Schedule 4: Fit and Proper Criteria

(Refer Regulation 9 and clause (j) of sub-Regulation (2) of Regulation 58)

Determination of “Fit and Proper” Status - Illustrative criteria for determining “fit and proper” status of applicants, promoters and/or Investors

In determining whether any individual and/or entity is “fit and proper” to be a promoter or investor of Insurer, the following factors, as may be relevant, shall be taken into account, **including but not limited to the following:**

- (1) The individual or entity’s integrity, reputation, track record:
 - (a) The financial strength of the promoter or investor.
 - (b) Ability to infuse capital to meet business, solvency and regulatory requirements.
 - (c) Compliance with all applicable laws in India including Prevention of Money Laundering Act, FEMA and taxation law.
 - (d) Ability to access capital or financial markets to source funds that may be needed for any future capital infusion.
 - (e) Business record, business and financial position and past experience.
- (2) Due-diligence
 - (a) Approval or NOC by other regulatory bodies in India and/or outside India, as applicable;
 - (b) Insider trading, fraudulent or unfair trade practices or market manipulation by the promoters, investors or any of its group entities.
 - (c) Proceedings including conviction against the individual or entity or any of its promoter or group entities or any of its KMPs, by any regulatory or statutory or judicial bodies in India or outside India.
- (3) Interests of policyholders and general public at large.
- (4) Impact on the management and governance structure.
- (5) Agreement between shareholders and impact on control or management.
- (6) Shareholding pattern and Capital structure of the promoter or investor.
- (7) Source of funds for investment.
- (8) Beneficial ownership of shares of the insurer and the investors and promoters of the insurer.”

G. R. SURYA KUMAR, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./249/2026-27]